Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to introduce a law in connection with religion conversion.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य झारखण्ड में एक मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का बहुत बड़ा मसला आजकल चल रहा है। किस तरह से हेल्थ के नाम पर, सोशल सर्विस के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कन्वर्जन हो रहा है और बच्चों को दिया जा रहा है। एडॉप्शन का धन्धा चल रहा है। कौन मां है, कौन पिता है, बच्चा किसके पास चला गया, यह कुछ भी पता नहीं है। चर्च वहां एक सिंडीकेट क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है। … (व्यवधान) इसी तरह से कन्वर्जन होता है। पूरा नॉर्थ-ईस्ट कन्वर्ट हो गया, पूरे झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का यही हाल है। अभी एक बड़ा मामला सामने आया है। …(व्यवधान) मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, जिसका नाम बड़ा और दर्शन छोटा है, जिसको नोबल प्राइज मिल गया, उसने एक इल्लीगल एक्टिविटी की है। मां का पता नहीं, बाप का पता नहीं, किसको दत्तक पुत्र दिया गया।…(व्यवधान)

किसको दत्तक पुत्र दिया गया या बेटी दी गई, यह नहीं पता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और कंवर्जन पर सरकार एक बड़ा लॉ लेकर आए जिससे कि इस तरह की एक्टिविटीज इस देश में न हों।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Kirit P. Solanki, Shri Devji M. Patel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.